



एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
आदेश आरक्षति दिनांक-21/01/2021
आदेश घोषिति दिनांक- 12/02/2021
पुनर्विचार याचिका संख्या 232/2019

{रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016 में विद्वान खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक
16.11.2018 से उत्पन्न}

1. स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़, थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्साइज, महानदी भवन, नवा मंत्रालय, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़.
2. स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ कमर्शियल टैक्स एक्साइज, महानदी भवन, नया मंत्रालय, नया रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़.
3. आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर।
5. कलेक्टर आबकारी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
6. कलेक्टर आबकारी बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
7. द कलेक्टर एक्साइज, दुर्ग, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़.

----- आवेदकगण

बनाम

मेसर्स पीवीआर लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 61, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057 में है। इसके अधिकृत प्रतिनिधि और महाप्रबंधक कानूनी श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री आर.एस. सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी हाउस नंबर 226, प्रथम तल, आई.पी. कॉलोनी, सेक्टर 30, फरीदाबाद हरियाणा, दिल्ली के माध्यम से।

-----उत्तरवादी



2020 की आरईव्हीपी संख्या 64

{रिट याचिका (टी) संख्या 3/2017 में खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 से उत्पन्न }

1. स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्साइज, महानदी भवन, नवा मंत्रालय, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़.
2. स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ कमर्शियल टैक्स एक्साइज, महानदी भवन, नया मंत्रालय, नया रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़.
3. आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. कलेक्टर आबकारी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

----- आवेदकगण

बनाम

आइनोंक्स लीजर लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एबीएस टावर्स, ओल्ड पादरा, वडोदरा, 390007 गुजरात में है और अन्य बातों के साथ- साथ सिटी मॉल 36, ग्राम न्यू पुरेना, जीई रोड, लाभांडी, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में अपने अधिकृत प्रतिनिधि और महाप्रबंधक श्री रोहित घोष, छत्तीसगढ़ के माध्यम से चार स्क्रीन मल्टीप्लेक्स सिनेमा का एक कॉन्डोमिनियम है।

-----उत्तरवादी

2020 की आरईव्हीपी संख्या 65

{विद्वान खण्ड पीठ द्वारा रिट अपील संख्या 294/2016 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 से उत्पन्न }

1. स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्साइज, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़



2. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स एक्साइज, महानदी मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़।
3. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़।
4. आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
5. अपर आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
6. सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर।
7. कलेक्टर आबकारी, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
8. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

----- आवेदकगण

बनाम

1. अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रबंध निदेशक आनंद सिंघानिया के माध्यम से, निवासी अविनाश हाउस, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई. रोड, रायपुर, पी.एस. आजाद चौक, सिविल और राजस्व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. आनंद सिंघानिया स/ ओ श्री संतोष सिंघानिया, एज्ड अबाउट 42 इयर्स र/ ओ मधुबन, गीता नगर, बिहाइंड बारुण होंडा शोरूम ग.ए. रोड, रायपुर, पी.स. आजाद चौक, रायपुर, सिविल एंड रेवेनुए डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़
3. पीवीआर लिमिटेड 61, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057 जिला नई दिल्ली।

-----उत्तरवादीगण

2020 की आरईव्हीपी संख्या 66

{रिट अपील संख्या 150/2016 में खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 से उत्पन्न }

1. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़।



2. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स एक्साइज, महानदी मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़।
3. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़।
4. आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
5. अपर आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
6. सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
7. कलेक्टर आबकारी, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर, जिला- रायपुर, छ.ग.

----- आवेदकगण

बनाम

1. पीवीआर लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत भारत में निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 61 बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, दिल्ली में है।

2. अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रबंध निदेशक आनंद सिंघानिया के माध्यम से, निवासी अविनाश हाउस, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई. रोड, रायपुर, पी.एस. आजाद चौक, सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. आनंद सिंघानिया स/ ओ श्री संतोष सिंघानिया एजड अबाउट 42 इयर्स र/ ओ मधुबन, गीता नगर, बिहाइंड बारुण होंडा शोरूम ग.ए. रोड, रायपुर, पी.स. आजाद चौक, रायपुर, सिविल एंड रेवेनुए डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण



आवेदक/पुनर्विचार याचिकाकर्ता/ श्री विक्रम शर्मा, उप सरकारी राज्य के लिए: अधिवक्ता।

उत्तरवादी {पुनर्विचार याचिका मेसर्स पीवीआर और आईनॉक्स संख्या 232/2019, 64/2020, लीजर लिमिटेड के लिए, श्री सुमित 65/2020 और 66/2020} - मेसर्स नेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वरुण पीवीआर और आईनॉक्स लीजर चोपड़ा और श्री आनंद दादरिया, लिमिटेड के लिए: अधिवक्ताओं के साथ।

उत्तरवादी के लिए (पुनर्विचार श्री सुमेश बजाज, वकील। याचिका संख्या 65/2020 और 66/2020 में) - अविनाश डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और आनंद सिंघानिया:

माननीय श्री पी.आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

सी ए व्ही आदेश

पी.आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

1. यह पुनर्विचार याचिकाएं राज्य द्वारा दायर की गई हैं, जो रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016, रिट याचिका (टी) संख्या 3/2017, रिट अपील संख्या 150/2016 में उत्तरवादी और रिट अपील संख्या 294/2016 में अपीलकर्ता था। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में सुरक्षित अधिकार के अनुसार है, जबकि एसएलपी को वापस ले लिया गया है, इस न्यायालय



के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए {रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016, रिट अपील संख्या 150/2016 और रिट अपील संख्या 294/2016 के संबंध में दिनांक 26.07.2019 के आदेश और रिट याचिका (टी) संख्या 3/2017 के संबंध में दिनांक 23.08.2019 के आदेश देखें) उपरोक्त वर्णित मामलों में इस न्यायालय के समक्ष पुनः विचार किया जा रहा है।

2. प्रकरण विषय वस्तु छत्तीसगढ़ नये सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982 (संक्षेप में, 1982 नियम) के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित है। पुनर्विचार याचिकाएँ मुख्य रूप से दो आधारों पर दायर की गई हैं, पहला, यह तर्क देते हुए कि रिट याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के तहत पात्रता के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि वे स्वामी (मालिक) नहीं हैं, जिस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया और दूसरा, सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स के संचालन की शुरुआत की तारीख के संदर्भ में 1982



के नियमों के नियम 3 के दायरे पर मामले को अंतिम रूप देते समय खंडपीठ द्वारा कभी निर्णय नहीं लिया गया।

3. घटनाक्रम की बात करें तो, रिट याचिकाकर्ताओं को 1982 के नियमों के तहत लाभ देने के दावे को संबंधित अधिकारियों ने खारिज कर दिया था, जिसे रिट याचिका (टी) संख्या 1364/2014 {अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट

लिमिटेड और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य} दायर करके चुनौती

दी गई थी, जिसमें यह घोषणा मांगी गई थी कि याचिकाकर्ता 1982 के नियमों के तहत सब्सिडी के रूप में लाभ/ अनुदान/ प्रोत्साहन के लिए पात्र

और हकदार थे। रिट याचिका को 22.01.2016 के निर्णय के अनुसार अनुमति दी गई, जिसके तहत विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया,

जिससे यह स्पष्ट हो गया कि याचिकाकर्ता 1 और 2, मॉल/ मल्टीप्लेक्स के मालिक होने के नाते, 04.03.2010 से 1982 के नियमों के तहत दिए गए

लाभ का लाभ उठाने के हकदार थे। उक्त निर्देश से व्यथित होकर, राज्य ने प्रथम और द्वितीय याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाभ के संबंध में अपील पेश

की, जबकि तीसरे याचिकाकर्ता ने लाभ देने से इनकार करने के लिए इसे



चुनौती देने की मांग की, इसके अलावा रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016 के अनुसार 1982 के नियमों की वैधता को चुनौती दी।

4. उपरोक्त सभी मामलों की सुनवाई और अंतिम निर्णय एक ही बेंच ने एक ही तिथि यानी 16.11.2018 को किया था। रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016 में एक विस्तृत निर्णय पारित किया गया था, जिसमें 'स्वामी' शब्द का अर्थ जानने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया था, जिसे वास्तव में 1982 के नियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, इसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाए गए मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (संक्षेप में '1936 अधिनियम') की धारा 2(एफ) और ऐसे अन्य प्रावधानों के तहत 'मालिक' शब्द की परिभाषा के संदर्भ में भुगतान किए गए/देय मनोरंजन कर की वापसी के माध्यम से नियमों के तहत देय लाभ की मात्रा के संदर्भ में जोड़ने की मांग की गई थी।

5. 1936 अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों का भी संदर्भ दिया गया, विशेष रूप से धारा 3 जिसमें कर का भुगतान करने का दायित्व स्वामी पर डाला गया; 1936 के अधिनियम की धारा 9(ए), छत्तीसगढ़ सिनेमा



(विनियमन) अधिनियम, 1952 {संक्षेप में '1952 अधिनियम' और छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972 (संक्षेप में '1972 नियम')} के प्रावधान। 1972 के नियम 2(जी) जो 'लाइसेंसधारी'/'लाइसेंस धारक' शब्द को परिभाषित करता है (जिसमें नियम 108 के तहत नामित प्रबंधक या प्रबंधक शामिल हैं); 1972 के नियम 108 का दायरा जो यह निर्धारित करता है कि लाइसेंसधारी या उसका नामित व्यक्ति उपस्थित रहे; लाइसेंस धारक के लिए शर्तें और प्रतिबंध (1972 के नियम 101 और 120 के तहत) आदि पर भी चर्चा की गई। तदनुसार इस न्यायालय ने माना कि लाइसेंस धारक की वैधानिक स्थिति 'स्वामी' के समान है राज्य पार्टियों को राज्य भर में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है जो अधिकांश मामलों में है। लाइसेंसधारी ही वास्तविक निवेश करेगा या मूवी हॉल या मल्टीप्लेक्स चलाएगा, मामलों की कमान संभालेगा, बिल्डरों (जिन्होंने ऐसे मूवी हॉल या मल्टीप्लेक्स लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई है) के साथ समझौता करेगा और कानून के अनुसार दायित्वों को पूरा करेगा। यह देखा गया कि नियमों को व्यावहारिक बनाने के लिए, 'स्वामी' शब्द को रचनात्मक तरीके से



समझा जाना चाहिए । पीठ ने कहा कि शब्द 'स्वामी' को 'वास्तविक मालिक तक सीमित नहीं किया जा सकता' जिसका सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स के संचालन या प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है । इस प्रकार यह घोषित किया कि 1982 के नियमों में 'स्वामी' शब्द में वह व्यक्ति भी शामिल होगा और उसका मतलब होगा जो 1982 के नियमों के दायित्व को पूरा कर रहा है, क्योंकि वह लाइसेंसधारी है जिसने बिल्डर द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान को सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है और वह अधिनियम, नियमों और राज्य अधिकारियों के साथ उनके द्वारा किए गए समझौतों के अनुसार मनोरंजन कर का नियमित रूप से भुगतान भी करता है। पीठ ने व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता पर बल दिया; कहीं ऐसा न हो कि यह 1982 के नियमों के उद्देश्य को ही पराजित कर दे और इसे अव्यवहारिक बना दे; इस प्रकार यह घोषणा करते हुए उक्ति का सारांश दिया गया है कि 1982 के नियमों में, विशेष रूप से 'स्पष्टीकरण' में प्रयुक्त शब्द 'स्वामी' में न केवल वास्तविक मालिक शामिल होगा, बल्कि सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स का अधिभोगी/ लाइसेंसधारी भी शामिल होगा,



जिसके लिए निर्धारित या नोटिस किया गया परीक्षण मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। उक्त परिस्थितियों में राज्य के प्रतिवादी- आबकारी अधिकारियों के दिनांक 05.12.2017 के आदेश के तहत सब्सिडी के दावे को खारिज करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे उस दिन पारित फैसले और आदेशों के आलोक में तीन महीने के भीतर जैसा निर्दिष्ट हो, नया निर्णय लें। उपरोक्त विस्तृत फैसले के आलोक में राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील का भी 16.11.2018 को ही निपटारा कर दिया गया।

6. पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री विक्रम शर्मा को विस्तार से सुना गया। हमने श्री सुमित नेमा, विद्वान वरिष्ठ वकील को भी सुना, जिनकी सहायता श्री श्री वरुण चोपड़ा और श्री आनंद दादरिया, अधिवक्ताओं ने की और साथ ही श्री सुमेश बजाज, अधिवक्ता, जो गैर-आवेदक/ प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को भी विस्तार से सुना।

7. पुनर्विचार याचिकाकर्ता/ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा ने कहा कि विद्वान न्यायाधीश 1982 के नियमों के तहत 'स्वामी' शब्द के अर्थ को समझने और उसकी व्याख्या करने



में सही नहीं थे। विद्वान वकील ने कहा कि 1982 के नियमों के नियम 3 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि नियमों के तहत सब्सिडी का लाभ पाने की पात्रता इस शर्त के अधीन है कि कोई भी सिनेमा हॉल/ थिएटर 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित नहीं है और यह शर्त केवल 04.03.2010 के संशोधन के माध्यम से हटा दी गई है, उक्त तिथि से पहले निर्मित सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स लाभ पाने के हकदार नहीं हैं; जिस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए, ये पुनर्विचार याचिकाएँ।

8. तीनों मामलों में पुनर्विचार के आधार लगभग समान हैं। 1982 के नियमों के तहत उल्लिखित 'स्वामी' शब्द के अर्थ की व्याख्या, खासकर जब उक्त शब्द को उसमें परिभाषित नहीं किया गया है, 1936 के अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत 'स्वामी' शब्द के अर्थ के संदर्भ में और 1982 के नियमों में अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में गहन जांच के बाद की गई थी, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। पात्र व्यक्ति/'स्वामी' को देय सब्सिडी 1936 के अधिनियम के अनुसार एकत्र किए गए मनोरंजन कर की वापसी के संदर्भ में है। विभिन्न प्रावधानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और



प्रासंगिक नियमों के दायरे और उद्देश्य का परीक्षण करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था, जिसकी सत्यता पर इन पुनर्विचार याचिकाओं में सवाल उठाया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुनर्विचार का दायरा बहुत सीमित है और इस न्यायालय द्वारा शक्ति का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि "अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि", जैसा कि **मीरा भांजा (श्रीमती) बनाम निर्मला कुमारी चौधरी (श्रीमती)** ((1995) 1 एससीसी 170 और अन्य विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार स्पष्ट किया गया है। "अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि" क्या है, इसका उल्लेख पुनर्विचार याचिका में उठाए गए किसी भी आधार में नहीं किया गया है। इसे न तो तर्कों के दौरान इंगित किया गया था, बल्कि अपील के ज्ञापन में दिए गए आधारों और पीठ के समक्ष दिए गए तर्कों को दोहराने के लिए, जिन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और निर्णय पारित करते समय अंतिम रूप दिया जा चुका है, 1982 के नियमों में दिए गए 'स्वामी' शब्द के वास्तविक अर्थ के संदर्भ में पुनर्विचार याचिकाकर्ता का प्रयास केवल मामले



की "पुनः सुनवाई का प्रयास" है, जो पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करते समय वस्तुतः निशिद्ध है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है।

9. दूसरे आधार के संदर्भ में कि मामले को अंतिम रूप दिए जाने के समय न्यायालय द्वारा 1982 के नियमों के नियम 3 के दायरे का निर्णय नहीं किया गया था, कि उक्त नियम में जोर दिया गया था कि सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स का निर्माण करके निवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सब्सिडी का हकदार तभी होगा जब 10 किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स मौजूद न हो। उक्त प्रतिबंध 04.03.2010 के संशोधन के बाद ही हटा दिया गया और इस प्रकार, लाभ केवल उन पक्षों द्वारा मांगा जा सकता है जिनके शो की शुरुआत 04.03.2010 के बाद हुई है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1982 के नियम 3 के लागू होने के समय निर्माण कार्य कराया था, उन्होंने वस्तुतः इस शर्त के बावजूद निर्माण कार्य के लिए स्वेच्छा से सहमति दी थी तथा यह जानते हुए भी कि 10 किलोमीटर की परिधि में अन्य थियेटर/ सिनेमा हॉल के अस्तित्व के कारण वे सब्सिडी पाने के पात्र नहीं



होंगे, वे 04.03.2010 से उक्त धारा के हटा दिए जाने मात्र से लाभ का दावा नहीं कर सकते।

10. यह सच है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका {डब्ल्यूपी(टी) संख्या 1364/2014 में} में राज्य की ओर से इस तरह के आधार को विशेष रूप से उठाया गया था। दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचारणीय बिन्दु तैयार किए गए थे; जिनमें से पैराग्राफ 9 में दिए गए बिंदु संख्या 'सी' इस प्रश्न से संबंधित है

जिसे निचे उद्धृत किया गया है:

"ग) क्या दिनांक 04.03.2010 के संशोधन द्वारा सिनेमा थियेटर/मल्टीप्लेक्स के 10 किलोमीटर के दायरे में अस्तित्व की शर्त को हटा दिए जाने के बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा संशोधन के पूर्व फिल्म दिखाया जाना प्रारंभ करने के आधार पर संशोधन लागू होने पर नियम 1982 के तहत लाभ प्राप्त करने से वंचित किया जाएगा?"

उपरोक्त बिंदु पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22.01.2016 के निर्णय (WP(T) संख्या 1364/2014) के पैराग्राफ 39 से 42 में विस्तार से चर्चा की गई थी, जिसमें संशोधन की संभावना के संबंध में दावा और इस



तर्क पर विचार किया गया था कि इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स हिंद स्टोन और अन्य;** {(1981) 2 एससीसी 205), **कोल्हापुर केनसुगर वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य;** {(2002) 5 एससीसी 536) में निर्धारित कानून का संदर्भ दिया गया है। इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 42 में अवलोकित किया है कि, 1982 के नियमों के नियम 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह उन सभी सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा जिनका निर्माण 01.07.1991 को या उसके बाद शुरू हुआ है और यदि 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा सिनेमा न होने की शर्त को उत्तरवादीगण की दलील को स्वीकार करते हुए नियमों के साथ पढ़ा जाता है कि यह 04.03.2010 के बाद लागू नहीं होगी, तो यह बहुत ही असंगत या विरोधाभासी स्थिति पैदा करेगी। संदर्भ की सुविधा के लिए पैराग्राफ 42 को नीचे उद्धृत किया गया है:

"42. संबंधित नियमों में, इससे संबंधित नियम 3 सभी निर्माणों पर लागू होगा जो प्रतिवादियों द्वारा 04.03.2010 के नियमों के साथ पढ़े जाने पर भी विद्यमान सिनेमा के न होने पर भी शुरू हुए हैं, जिसे यह



न्यायालय वर्तमान में लागू करने के लिए बाध्य है, यह प्रावधान करता है कि 01.07.1991 के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में सिनेमा/मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे, यदि संचालक की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है कि 10 किलोमीटर के दायरे में निर्माण बहुत बाद में शुरू हुआ है तो यह विरोधाभासी स्थिति पैदा करेगा या मल्टीप्लेक्स जिसका निर्माण 01.07.1991 के बाद शुरू हुआ है, 10.03.2010 के बाद भी छूट के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि प्रारंभ की तिथि पर सिनेमा थियेटर विद्यमान था। भले ही यह मान लिया जाए कि इसके लागू होने पर, 10 किलोमीटर के दायरे में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कोई भी मल्टीप्लेक्स जिसका निर्माण 1.7.1991 के बाद शुरू हुआ था, 4.3.2010 के बाद प्रोत्साहन/ अनुदान के लाभ के लिए पात्र होगा, चाहे जो भी अवधि हो, नियम 8(सी) संशोधन दिनांक 30.08.2003 के तहत लाभ उपलब्ध रहेगा।

11. राज्य द्वारा प्रस्तुत अपीलों के संदर्भ में उनकी ओर से ऐसा आधार उठाया गया था; लेकिन पुनर्विचार याचिकाओं में कहीं भी यह दलील नहीं दी गई है कि उस आधार के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे। पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि नियम के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव की अनुपस्थिति को न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से



तर्क दिया गया था, लेकिन मामले का निपटारा करते समय इसका उत्तर देना छोड़ दिया गया, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, राज्य द्वारा प्रस्तुत अपीलों को रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016 के साथ तीसरे याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका (टी) संख्या 1364/2014 में प्रस्तुत की गई थी और यह रिट याचिका (टी) संख्या 47/2016 में 1982 के नियमों के तहत दिए गए 'स्वामी' शब्द के अर्थ से निपटने वाले विस्तृत निर्णय के आधार पर था; उन्हें उसी दिन अंतिम रूप दिया गया था। जहां तक पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि उक्त आधार पर जोर दिया गया/ तर्क दिया गया, लेकिन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि 'अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि है'। दूसरे शब्दों में, जब मामले पर बहस की गई थी, तब जो कुछ छूट गया था, उसे पुनर्विचार याचिका पर विचार करते समय फिर से पेश नहीं किया जा सकता है; जो अन्यथा "पुनः सुनवाई" का उदाहरण होगा। यह स्थिति होने के कारण, हमारा मानना है कि चुनौती के तहत निर्णय पारित करते समय



1982 के नियमों के नियम 3 के दायरे पर विचार न करना अभिलेख में त्रुटि नहीं है।

12. हालांकि, विद्वान उप सरकारी वकील श्री विक्रम शर्मा ने आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड;

{(2015) 1 एससीसी 1 पैराग्राफ 28) और पूर्वांचल केबल्स एंड कंडक्टर्स

प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य बिजली बोर्ड और अन्य; {(2012) 7

एससीसी 462 पैराग्राफ 32, 33 और 45} में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित

कानून का संदर्भ इस तर्क के समर्थन में दिया कि संशोधन, जब तक कि

विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, हमेशा 'संभावित' के रूप में व्याख्या

किया जाएगा और कभी पूर्वव्यापी नहीं होगा। उक्त निर्णयों के अवलोकन से

स्पष्ट है कि, उनमें निर्धारित कानून के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता

है। लेकिन सुक्ष्म परीक्षण करने पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाटिका

टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) इसी तरह, पूर्वांचल केबल्स (सुप्रा) में,

यह विलंबित भुगतानों पर ब्याज के संबंध में था, जो लघु एवं सहायक

औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतानों पर ब्याज अधिनियम, 1993 के



तहत विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान करने की देयता के रूप में था। दोनों मामलों में, 'संभावितता/ पूर्वव्यापीता' का विश्लेषण करदाता/ पक्ष पर लगाए गए अतिरिक्त/ नए बोझ के संदर्भ में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रासंगिक प्रावधानों और अन्य निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, यह माना गया कि यह केवल संभावित हो सकता है।

13. वर्तमान प्रकरण में यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें निहित प्रावधान किसी अतिरिक्त बोझ को लागू करने के संबंध में नहीं है, बल्कि 1982 के नियमों के नियम 3 के तहत संचालक को हटाकर दी गई "छूट" के संबंध में है। 1982 के नियम स्पष्ट रूप से सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स के संबंध में सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिसका निर्माण 01.07.1991 के बाद शुरू हुआ था। बेशक, एक शर्त यह थी कि लाभ इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगा कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स मौजूद नहीं है। 04.03.2010 के संशोधन के अनुसार इस शर्त को हटा दिया गया, जिसके तहत सब्सिडी देने के लाभ को बढ़ाया गया ताकि तत्कालीन अपात्र लॉट को भी पात्रता के दायरे में लाया जा सके। चूंकि सब्सिडी का लाभ कुल



'8 वर्षों' की अवधि के लिए भुगतान किया जाना था, इसलिए जिन व्यक्तियों को राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के लिए सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था और जिन्होंने 04.03.2010 से पहले की कठिन परिस्थितियों के बावजूद 'सकारात्मक' जवाब दिया था, उन्हें हमेशा के लिए नीचे नहीं धकेला जा सकता है, जब 04.03.2010 के बाद से बाधा हटा दी गई थी, कम से कम शेष अवधि के संबंध में, जिसके लिए अकेले विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया है, शायद इसी कारण से, जब अपीलों की सुनवाई की गई और WP(T) संख्या 47/2016 के साथ अंतिम रूप दिया गया, तब उक्त आधार पर जोर नहीं दिया गया या बहस नहीं की गई। संक्षेप में, इसमें शामिल संशोधन, 04.03.2010 से 1982 के नियमों के नियम 3 के तहत पहले से मौजूद संचालक को हटाकर पात्रता के प्रश्न को तय करने के लिए छूट प्रदान करता है ऐसी स्थिति में, 01.07.1991 के बाद सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स के सभी निर्माणों के संबंध में मनोरंजन कर की वापसी के माध्यम से सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए कानून निर्माताओं की मंशा में उन पक्षों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने



04.03.2010 की कटऑफ तिथि से पहले संचालन शुरू किया है, 04.03.2010 के बाद शेष अवधि के लिए, यदि नियमों के तहत लाभ अभी भी जारी है। जैसा कि यह है, 04.03.2010 से संचालक को हटाने की कथित संभावना के संदर्भ में विवाद में कोई योग्यता नहीं है। उक्त परिस्थिति में, हमें इस शीर्षक के तहत अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि नहीं दिखती है।

14. अलग- अलग मामलों की बात करें तो, **2020 की पुनर्विचार याचिका संख्या 232** में उत्तरवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुमित नेमा ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स 04.03.2010 के बाद ही चालू हुआ (रायपुर मल्टीप्लेक्स ने 11.02.2011 को संचालन शुरू किया, बिलासपुर मल्टीप्लेक्स ने 06.09.2012 को संचालन शुरू किया और भिलाई मल्टीप्लेक्स ने 14.03.2014 को संचालन शुरू किया)। यह स्थिति होने के नाते, 10 किलोमीटर के संचालक को हटाने वाले संशोधन के प्रभाव के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका में आधार 'ए', 'बी' और 'जे' लागू नहीं होते हैं और इस तरह, पुनर्विचार के लिए कोई उचित आधार नहीं है। स्वामित्व के अन्य आधार के संबंध में, रिकॉर्ड के आधार पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है



15. पुनर्विचार याचिका संख्या 64/2020 के संबंध में, श्री सुमित नेमा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक पी/ 1 अस्वीकृति आदेश केवल 'स्वामित्व' के आधार पर सब्सिडी से इनकार करने के लिए था, जो ऊपर वर्णित कारणों से, अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि की कमी के कारण लागू नहीं है। दिनांक 04.03.2010 के संशोधन के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित मल्टीप्लेक्स छत्तीसगढ़ राज्य में "पहला मल्टीप्लेक्स" था और इस तरह, भले ही 10 किलोमीटर की संचालक मौजूद हो, यह लागू नहीं है, क्योंकि कोई अन्य मल्टीप्लेक्स उपलब्ध नहीं था, यह राज्य में पहला मल्टीप्लेक्स था। उक्त परिस्थिति में, किसी भी हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। तथ्यात्मक स्थिति को राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वस्तुतः स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, हम इसे पुनर्विचार याचिकाकर्ता के विरुद्ध मानते हैं।

16. पुनर्विचार याचिका संख्या 65/2020 के संबंध में यह सच है कि यह संचालन 05.02.2010 को शुरू हुआ था। यह बताया गया है कि 04.03.2010 तक कोई याचिका लंबित नहीं थी और 01.05.2010 से



03.02.2011 की अवधि के लिए रिफंड का दावा करने वाला पहला आवेदन 25.02.2011 को किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बिंदु 'सी' पर दिए गए विशिष्ट निष्कर्ष के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथा 'संभावितता' के बारे में उक्त आधार पर जोर दिए बिना खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई के संदर्भ में उल्लिखित कारणों और पुनर्विचार याचिका में दलीलों की अनुपस्थिति के कारण, जिस पर बहस की गई थी, लेकिन खंडपीठ द्वारा विचार करने से चूक गई थी और इसके अलावा 01.07.1991 को या उसके बाद किए गए निर्माण के संबंध में लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता के मद्देनजर 'छूट' लाने वाले संशोधन के दायरे के संबंध में योग्यता की अनुपस्थिति के बारे में हमारी टिप्पणी के मद्देनजर, हम इस दृष्टिकोण पर हैं कि इस मामले में भी 'अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि नहीं है'।

17. **पुनर्विचार याचिका संख्या 66/2020** के संबंध में यह रिट अपील संख्या 150/2016 के संबंध में है। चूंकि उठाए गए आधार बिल्कुल समान हैं, इसलिए हमारे द्वारा पूर्वगामी पैराग्राफ में की गई टिप्पणियां इस मामले को भी नियंत्रित करेंगी और हम मानते हैं कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।



18. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि पुनर्विचार की शक्ति का उपयोग करने और राहत प्रदान करने के लिए अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि नहीं है। पुनर्विचार याचिकाएँ विफल हो जाती हैं। तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है।

सही/-

(पी आर रामाचन्द्र मेनन)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।